

जन सूचना के अधिकार के अन्तर्गत 17 बिन्दुओं सूचना

क्र० सं०	बिन्दु	बिन्दुवार सूचना
1	अपने संगठन की विशिष्टियाँ कार्य और कर्तव्य	अपराधियों पर अकुंश एवं शान्ति व्यवस्था बनाने में किया जाता है। अपराधिक आकड़ों की सूचना प्रतिदिन, पाक्षिक/साप्ताहिक एवं मासिक प्रेषित की जाती है।
2	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य	कर्मचारी एवं अधिकारी राज्य सरकार के अधीन कार्य करते हैं और राज्य सरकार के अधीन ही शासकीय कार्य सम्पन्न करते हैं।
3	विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया, उसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं,	कम से निम्न अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत है। पुलिस अधीक्षक पीलीभीत, अपर पुलिस अधीक्षक, पीलीभीत क्षेत्राधिकारी नगर/बीसलपुर/पूरनपुर/जहानाबाद/समस्त शाखा प्रभारी/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष/हेड कानि०/कानि० आदि कार्यरत है। शासन द्वारा निर्गत कार्य योजनाओं/निर्देशों का अनुपालन निरीक्षण/पर्यवेक्षण किया जाता है। कार्यालय पुलिस लाइन पीलीभीत में स्थित है।
4	अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा निर्धारित मापदण्ड,	पुलिस अधीक्षक पीलीभीत, अपर पुलिस अधीक्षक, पीलीभीत क्षेत्राधिकारी नगर/बीसलपुर/पूरनपुर/जहानाबाद/समस्त शाखा प्रभारी/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष/हेड कानि०/कानि० एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रहकर शासकीय कार्य सम्पन्न करते हैं।
5	अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किये गये नियम, विनियम अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख।	पुलिस अधीक्षक पीलीभीत, अपर पुलिस अधीक्षक, पीलीभीत क्षेत्राधिकारी नगर/बीसलपुर/पूरनपुर/जहानाबाद/समस्त शाखा प्रभारी/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष/हेड कानि०/कानि० एवं चतुर्थ श्रेणी शासनादेश एवं पुलिस मुख्यालय के द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुसार कार्य करते हुये अभिलेखों को सुरक्षित रखे जाते हैं।
6	ऐसे दस्तावेजों की श्रेणी का विवरण, जो उनके द्वारा धारित किये गये हैं, अथवा उनके नियंत्रण में है।	शासन द्वारा प्रदत्त अभिलेख पूर्ण कर सुरक्षित रखे जाते हैं नियमानुसार निरीक्षण एवं कार्यवाही प्रस्तावित की जाती है।
7	किसी व्यवस्था का विवरण जिसमें उनकी नीति निर्माण अथवा उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में लोक सदस्यों के साथ परामर्श या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिये विद्यमान हैं।	महिला प्रकोष्ठ/परामर्श केन्द्र में लोक सदस्यों की टीम द्वारा निर्णय लिया जा रहा है जो वर्तमान में विद्यमान है, बच्चों की गुगशुदगी के सम्बन्ध में भी प्रबक्तागण के माध्यम से निस्तारण किया जा रहा है।
8	बोर्ड, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हों और जिसकी स्थापना इसके भाग रूप में गठित अथवा इसकी सलाह के प्रयोजन के लिये की गयी हो और यह विवरण कि क्या इन बोर्डों, परिषदों, समितियों तथा अन्य निकायों की बैठक लागों के लिये खुली है अथवा ऐसी बैठक के कार्यवृत्त लोगों के लिये सुलभ है।	जिला प्रशासन की बैठक में शासन की मंशा के अनुरूप समस्त जनप्रतिनिधियों/ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी की राय/सुझाव लिये जाते हैं। उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार अपराध नियंत्रण एवं शान्ति व्यवस्था की जाती है।
9	अपने अधिकारियों तथा कर्मचारियों की निर्देशिका	इस विभाग के कर्मचारी राज्य सरकार के नियंत्रण में कार्यवाही सुनिश्चित करते हैं। और राज्य सरकार के निर्गत निर्देशों का पालन करते हैं। अधिकारियों के पास गोपनीय डायरी तथा कर्मचारीगण के पास वीटबुक रखते हैं जिसमें जनता द्वारा अच्छे बुरे आचरण के लोगों की स्थिति अंकित की जाती है।
10	अपने प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसमें उसके विनियमों में यथा उपबधित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित हों	शासन द्वारा स्वीकृत मानक के अनुसार अधिकारी/कर्मचारी के आकड़े उपलब्ध कराते हैं तथा मासिक/त्रैमासिक/छमाही/वार्षिक आकड़े पुलिस महानिरीक्षक स्थापना, उ०प्र० पुलिस मुख्यालय, पुलिस महानिरीक्षक, बरेली जोन, बरेली, पुलिस महानिरीक्षक बरेली परिक्षेत्र, बरेली को उपलब्ध कराये जाते हैं।

11	सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियाँ उपदर्शित करते हुये अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट ।	इस संस्था का बजट कर्मचारियों की सुख-सुविधा तथा भवन निर्माण आदि में पुलिस मुख्यालय से प्राप्त होता है जिसका समुचित उपभोग नियमानुसार करके सम्बन्धित अधिकारियों को मासिक प्रत्येक माह में व्यय विवरण भेजा जाता है ।
12	सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के ब्यौरे सम्मिलित है ।	पुलिस लाइन में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं जिनका लाभ पुलिस लाइन के कर्मियों व उनके परिवार एवं कोर्स ले लगे कर्मचारियों को मिलता है यह लाभ जनपद के सभी अधिकारी / कर्मचारी उठाते है ।
13	अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियाँ ।	समय-समय पर शासन के निर्देशानुसार अपराधियों पर अंकुश एवं शान्ति व्यवस्था के लिये समय-समय पर अभियान चलाये जाते हैं ।
14	किसी इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे , जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों	विभाग द्वारा समस्त सूचनायें उच्चाधिकारियों को संकलित कर भेजी जाती हैं आवश्यकतानुसार प्रिन्ट मीडिया इलेक्ट्रानिक मीडिया से प्रचार-प्रसार किया जाता है जिसमें सर्विलांस सैल का गठन भी है ।
15	सूचना अभिप्राप्त करने हेतु नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियाँ, जिसमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिये अनुरक्षित है तो, कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं ।	ऐसी कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है ।
16	जन सूचना अधिकारियों का नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ ।	श्री कुश हर सौरभ, अपर पुलिस अधीक्षक / जनसूचना अधिकारी श्री अमरजीत सिंह, क्षेत्राधिकारी, नगर / सहायक जनसूचना अधिकारी

शासनादेश संख्या-556/43-2-2008-15/2(3)/2007 टी.सी. दिनांक-6-6-2008 का संलग्नक

विभाग का नाम—उ०प्र० पुलिस

क्र०सं	विभाग तथा विभाग के नियंत्रणाधीन/ अधीनस्थ कार्यालय/ सार्वजनिक निगम/ उपक्रम/ परिषद/ बोर्ड/ संस्था का नाम	अधिनियम की धारा-4(1)(बी) के अन्तर्गत तैयार कर वेबसाइट पर अपलोड किये गये मैनुअल की संख्या	अवशेष मैनुअल की संख्या	अवशेष मैनुअल पूर्ण करने की तिथि
1	2	3	4	5
1	पुलिस विभाग, जनपद पीलीभीत	16	—	—

पुलिस अधीक्षक,
पीलीभीत।